

**न्यायालय :-सदस्य, द्वि०अति० मो०दु०दा०अधि० बालाघाट**  
**श्रृंखला न्यायालय बैहर**  
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

**मो०दु०दा० क्र.-81 / 2015**

संस्थित दिनांक -20.11.2015

Filling No. MACC/220/2017

कुमारी पूजा बोपचे उम्र 07 वर्ष पिता सुंदरलाल बोपचे जाति पंवार  
नाबालिग वली पिता एवं विधिक प्रतिनिधि सुंदरलाल पिता पतिराम  
बोपचे उम्र 35 वर्ष निवासी-चीनी थाना तहसील परसवाडा  
जिला बालाघाट (म०प्र०) - - - - - **आवेदिका।**

- / / **विरुद्ध** / / -

- 1-गोविंदप्रसाद ऐडे उम्र 40 वर्ष पिता बेनीराम पंवार  
निवासी-लिंगा थाना तहसील परसवाडा जिला बालाघाट  
2-प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय  
खंडेलवाल बिल्डिंग प्रथम मंजिल स्टेशन रोड तहसील बालाघाट  
जिला बालाघाट - - - - - **अनावेदकगण**

=====

**आवेदक द्वारा श्री डी०आर० बिसेन अधिवक्ता।**

**अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा श्री जी.एल. गौतम अधिवक्ता।**

**अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा श्री सुभाष शुक्ला अधिवक्ता।**

=====

- / / / **अधिनिर्णय** / / / -

(आज दिनांक **10 जनवरी 2018** को घोषित)

1. अवयस्क आवेदक की ओर से पिता संरक्षक सुंदरलाल ने  
अनावेदकगण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2015 को 10:45 बजे ग्राम लिंगा अमन  
ज्ञानदीप स्कूल के सामने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी. 04-एच.बी. 2003  
को लापरवाहीपूर्वक चलाकर कुमारी पूजा को दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्पन्न हुई  
क्षतिपूर्ति हेतु यह मोटर दुर्घटना दावा पेश किया है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि टाटा सूमो पंजीयन क्रमांक एम.पी. 04-एच.बी. 2003 का अनावेदक क्रमांक 1 पंजीकृत स्वामी है, अनावेदक क्रमांक 1 अनुज्ञाधिकारी चालक है। उक्त वाहन अना.क्र. 2 के पास बीमित है।
3. आवेदन पत्र का सार यह है कि कुमारी पूजा उम्र 07 वर्ष निवासी ग्राम चीनी थाना तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट की निवासी है। आवेदिका के पिता ने प्रतिदिन की तरह दिनांक 16.02.2015 को 10:30 बजे अनावेदक क्रमांक 1 के वाहन से लिंगा स्कूल भेजा था। अना.क्र. 1 द्वारा लगभग 11:00 बजे वाहन क्रमांक एम.पी. 04-एच.बी. 2003 को लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने से आवेदिका स्कूल के पास उक्त वाहन से गिर गई तथा आवेदिका का पैर उक्त वाहन के नीचे आ जाने से टूट गया। आवेदिका को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में लेख कराए जाने पर अपराध क्रमांक 34/2015 पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। दुर्घटना में स्थायी असमर्थता कारित हुई है। पहले की तरह अध्ययन नहीं कर पाती है।
4. उपचार के दौरान शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु 1,00,000/—, भविष्य के ईलाज हेतु 1,00,000/—, स्थायी अपंगता एवं आजीवन क्षतिपूर्ति के लिए व्यय के मद में 1,00,000/—, आवागमन में हुए व्यय की क्षति 50,000/—, एक्सरे, औषधि उपचार एवं ऑपरेशन में होने वाला व्यय के मद में 3,00,000/— इस प्रकार कुल 6,50,000/—रुपए तथा 9 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाए जाने की याचना की है।
5. अनावेदक क्रमांक 1 ने उत्तर पेश कर आवेदन पत्र के समस्त अभिकथनों को पदवार इंकार किया है। विशिष्ट कथन कर पद क्रमांक 34 से 37 में लेख अभिकथन का सार में लेख किया है कि अनावेदक क्र.1 से दुर्घटना नहीं हुई है। अनावेदक क्रमांक 1 अनुज्ञाधिकारी चालक है। अनावेदक क्रमांक 1 का वाहन क्रमांक एम.पी. 04-एच.बी. 2003 अनावेदक क्रमांक 2 के पास बीमित

है। यदि दुर्घटना मानी जाती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनावेदक क्रमांक 2 उत्तरदायी है। अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध झूठा दावा पेश किया है। उपचार से संबंधित झूठे दस्तावेज तैयार किए हैं। आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

6. अनावेदक क्रमांक 2 ने उत्तर पेश किया आवेदन पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 33 तक के अभिकथनों को पदवार इंकार कर लेख किया है कि दर्शित दिनांक, समय, स्थान पर दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना में आवेदिका के पैर में अस्थिभंग नहीं हुआ है, अन्य चोट नहीं आयी है। आवेदिका के उपचार में 1,00,000/-रुपए व्यय होना, भविष्य में और व्यय होना इंकार किया है, स्थायी असमर्थता कारित होना इंकार किया है। वाहन क्रमांक एम.पी. 04-एच.बी. 2003 का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 1 है इंकार किया है। आवेदिका विद्यार्थी थी, पढाई बाधित हुई इंकार किया है। अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध परसवाड़ा थाना में अपराध क्रमांक 34/15 पंजीबद्ध होना इंकार किया है। वाहन विधिवत बीमित होना इंकार किया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रलेख की प्रमाणितकता, शुद्धता इंकार की है।

7. विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि पुलिस ने बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी है। वाहन मालिक द्वारा सूचना नहीं दी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बीमा कंपनी को नहीं दी है। धारा 158 (6) का उल्लंघन होने से दावा निरस्त किए जाने योग्य है। वाहन में बैठे व्यक्ति के लिए सीमित बीमा किया गया था। प्रतिकर राशि का आंकलन मनमाना ढंग से किया गया है, दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

**आवेदन के निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गए हैं :-**

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 16.02.2015 को दिन के करीब 10:45 बजे पुलिस थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम लिंगा में अमन ज्ञानदीप स्कूल के सामने मेन रोड पर	प्रमाणित

	अनावेदक क्रमांक 1 ने अपने स्वामित्व के वाहन टाटा सूमो क्रमांक एम.पी. 04 एच.बी. 2003 का उतावलेपन से चालन कर आवेदिका कु. पूजा बोपचे को दुर्घटनाग्रस्त किया ?	
2	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदिका कुमारी पूजा बोपचे को स्थायी निःशक्तता कारित हुई ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के वक्त अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों को भंग किया गया ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या आवेदिका अनावेदकगण से संयुक्ततः तथा पृथक्तः दुर्घटना क्षतिपूर्ति 6,50,000/-रुपए प्राप्त करने की अधिकारी है ?	कंडिका 14 के अनुसार
5	अनुतोष एवं वादव्यय ?	वाद स्वीकृत कंडिका 15 अ, ब, के अनुसार देय।

**वादप्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-**

8. सुंदरलाल (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपना मुख्य कथन पेश कर पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 16.02.2015 को प्रतिदिन की तरह आवेदिका स्कूल अमन ज्ञानदीप ग्राम लिंगा जा रही थी। अनावेदक के साथ आवेदिका कु. पूजा को भेजा था। लगभग 11:00 बजे साक्षी ने देखा कि वाहन क. एम.पी. 04 एच.बी. 2003 का चालक तेज रफ्तार लापरवाही से उक्त वाहन को चलाकर जैसे ही स्कूल के पास पहुंचा गाड़ी से बच्ची नीचे गिर गई। कु. पूजा का पैर टाटा सूमो के नीचे आ जाने से टूट गया था, फैंक्चर हो गया था जिसे अस्पताल में भर्ती किया था।

9. इसी साक्षी ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 5 में अधिकरण के समक्ष साक्ष्य दी है कि दावे के समर्थन में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए. 1, अपराध विवरण प्र.ए. 2, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.ए. 3, आरोग्य फैंक्चर हॉस्पिटल के उपचार पर्ची प्र.ए. 4, डिस्चार्ज टिकिट प्र.ए. 5, ईलाज पर्ची प्र.ए. 7, दवाई के बिल प्र.ए. 8 लगायत प्र.ए. 10, अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए. 6 पेश किए हैं। अनावेदक



क्रमांक 1 द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण तथा अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण से वाद प्रश्न क्रमांक 1 के निराकरण हेतु अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं होता है।

**10.** प्र.ए. 2 नक्शा मौका के अनुसार दुर्घटनास्थल मेन रोड लिंगा अमन ज्ञानदीप स्कूल के सामने का होना लेख है, का खंडन नहीं है। प्र.ए. 3 संपत्ति जप्ती पत्र के अनुसार वाहन क्रमांक एम.पी. 04 एच.बी. 2003 मय दस्तावेज के अनावेदक क्रमांक 1 से पुलिस के द्वारा जप्त किए गए हैं, की प्रमाणित प्रतिलिपि है। प्र.ए. 1 अपराध कायमी दिनांक 03.03.2015 की है जो उपचार पश्चात् रिपोर्ट लेख कराई है। गोविंदप्रसाद (अना.सा.1) ने स्वयं का परीक्षण कराया है जिसमें पद क्रमांक 6 में स्वीकार किया है कि घटना संबंधित मामला उस पर दर्ज हुआ है जो प्रकरण विचाराधीन है। मुख्य कथन में दी गई साक्ष्य के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। तर्कों को विचार में लिया गया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **वादप्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित** पाया जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-**

**11.** सुंदरलाल (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 5 में साक्ष्य दी है कि दुर्घटना में आवेदिका स्थायी रूप से अपंग हो जाने के कारण आवेदिका को आर्थिक कष्ट सहना पड़ा है। आवेदिका पढाई में अब्वल थी किंतु दुर्घटना के कारण स्कूल जाने में असमर्थ है, पढाई बाधित हो रही है। पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि आवेदिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाडा में चोटों की गंभीरता को देखते हुए आरोग्य फैक्चर हॉस्पिटल बालाघाट में भर्ती किया था उपचार के दौरान आवेदिका के पैर में रॉड डाली गई है। साक्षी ने पद क्रमांक 2 के अंत में कथन किया है कि चक्का के नीचे पूजा का पैर आ जाने से फैक्चर हो गया था, किंतु इस साक्षी ने इस संबंध में अपंगता का प्रतिशत बाबद् जिला चिकित्सक बोर्ड का प्रमाण पेश नहीं किया है और न

ही ऐसी किसी चिकित्सक के कथन कराएं है जिसकी साक्ष्य के आधार पर अधिकरण यह निष्कर्षित कर सके कि कु. पूजा के दाहिने पैर की सीमा तक स्थायी निःशक्तता आयी है। उक्त साक्ष्य से **वादप्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित नहीं है।**

**वादप्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-**

**12.** इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी पर है। बीमा कंपनी ने अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में **वाद प्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं है।**

**वादप्रश्न क्रमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-**

**13.** सुंदरलाल (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 7 में साक्ष्य दी है कि आवेदिका को अनावेदक से 6,50,000/— (छः लाख पचास हजार) रुपया क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जावे। पद क्रमांक 5 में कथन किया है कि दवाई के बिल प्र.ए. 8 लगायत प्र.ए. 10 है जिनका योग 922/— (नौ सौ बाईस) रुपया है। प्र.ए. 5 के अनुसार आहत दिनांक 27.02.2015 से 01.03.2015 तक आरोग्य हॉस्पिटल गुजरी चौक बालाघाट में डॉ. शुद्धात्म जैन के उपचाराधीन कुल 03 दिन रही है। उक्त चिकित्सालय का बिल 21,000/— (इक्कीस हजार) रुपए का है किंतु 15,000/— (पंद्रह हजार) रुपए की कलम चिकित्सक के हस्ताक्षर से अंकित है। इसलिए उक्त औषधालय में आवेदिका के उपचार में 15,000/— रुपए व्यय हुए है।

**14.** आवेदिका 03 दिवस चिकित्सालय में भर्ती रही है उसे मानसिक कष्ट एवं शारीरिक कष्ट हुआ है। कुमारी पूजा को हुए शारीरिक व मानसिक कष्ट के एवज़ में 5,000/— (पांच हजार) रुपए, उसकी कम आयु के कारण उसे दो सहायक की आवश्यकता रहने से 2,000/— (दो हजार) रुपए, उसे लाने ले जाने का खर्च 3,000/— (तीन हजार) रुपए आंका जाता है। इस प्रकार  $(922 + 15000 + 5000 + 2000 + 3000) = 25922/-$  (पच्चीस हजार नौ सौ

बाईस) रूपए राउंड फिगर में 26,000/- (छब्बीस हजार) रूपए की क्षति होना पाया जाता है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 4 निराकृत किया जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक 5 सहायता एवं व्यय :-**

15. मोटर दुर्घटना दावा में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्गवृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

{अ} आवेदिका कुमारी पूजा को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 26,000/- रूपए {छब्बीस हजार रूपए}, अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने की अधिकारी है।

{ब} आवेदिका कुमारी पूजा को प्राप्त होने वाली राशि 26,000/- रूपए आवेदिका कु. पूजा अवयस्क के परिजन संरक्षक पिता सुंदरलाल ने व्यय किया है, इसलिए प्राप्त होने वाली राशि आवेदिका कुमारी पूजा के पिता सुंदरलाल के बचत खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

{स} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{द} अधिवक्ता शुल्क 1100/- रूपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

सही / -

सही / -

**(माखनलाल झोड़)**

सदस्य

द्वि० अति० मो० दु० दा० अधि० बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

**(माखनलाल झोड़)**

सदस्य

द्वि० अति० मो० दु० दा० अधि० बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अना.क. 1	अना.क. 2
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20.00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	10.00	-	-
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100-00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	<b>योग —</b>	<b>1140.00</b>	<b>1110.00</b>	<b>1110.00</b>

सही / —

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर